भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 35

शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना

*35. **श्री नीरज डांगी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में नए उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदान की गई सहायता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने नए लघु एवं भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कोई स्थान चिन्हित किए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : भारत सरकार देशभर में औद्योगिक कार्यकलापों के संवर्धन के लिए काफी सहायता उपलब्ध कराती है। हालांकि, उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के जरिए समुचित नीतिगत कार्यकलाप उपलब्ध कराकर राजस्थान सहित देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराता है।

उद्योगों के संबंध में राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता संबंधी कोई सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, राजस्थान राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रयासों की केंद्र सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों के समन्वय से एकत्रित सूचना नीचे दी गई है:

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमः भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से, विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय की घोषणा की गई है। ये क्षेत्र ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक, फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती वस्तुएं और एपीआई, चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सेमी-कंडक्टर, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल, विशेष इत्पात, मोबाइल विनिर्माण आदि हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक **अतिरिक्त क्षेत्र** ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई स्कीम को भी सितंबर, 2021 में अनुमोदित किया गया है।

पीएलआई स्कीमों की घोषणा के साथ, अगले पांच वर्षों तथा उससे अधिक अवधि के दौरान **उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि** में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

औद्योगिक कॉरिडोरः राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक जोन/क्षेत्रों का विकास करना है, के भाग के रूप में भारत सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के भाग के रूप में 11 कोरिडोर्स (32 परियोजनाओं) का चार चरणों में विकास करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में निम्नलिखित नोड्स की पहचान की गई है:

क. खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर), राजस्थान
ख. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए), राजस्थान

भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) : वर्ष 2014 से 2021 तक, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में तेईस (23) चमड़ा इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 12.49 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। संस्थागत सुविधाओं की संस्थापना उप-स्कीम के अंतर्गत जोधपुर के एफडीडीआई परिसर के उन्नयन हेतु 4.44 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) स्कीमः केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल की शुरूआत की है। ओडीओपी को

किसी जिले की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल करने, आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में बढ़ाए गए परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा गया है।

- ओडीओपी पहल का प्रचालनगत प्रयोजनों के लिए डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला (डीईएच)' पहल के साथ विलय कर दिया गया है। डीईएच का उद्देश्य पूरे जिले के ऐसे उत्पादों/सेवाओँ की पहचान करना है (जीआई उत्पादों सहित) जिनमें संभावित निर्यात क्षमता हो। निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने तथा इन जिलों में निर्यात वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है।
- ओडीओपी के अंतर्गत राजस्थान के दो उत्पादों अर्थात ब्लू पॉट्री (जयपुर) और मकराना संगमरमर (नागौर) की पहचान की गई है।
- 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' पहल के अंतर्गत राजस्थान के जिलों के लिए पहचाने गए उत्पादों की सूची **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

स्टार्टअप इंडिया : स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूत परिवेश का निर्माण करना है। जनवरी 2016 में 19 बिन्दुओं वाली स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का शुभारंभ किया गया जिसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए सुदृढ़, सहायक, विकास उन्मुखी वातावरण के निर्माण के लिए अनेक नीतिगत पहलों की शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त किया। राजस्थान के डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है जो एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 15.01.2022 तक) के दौरान पीमईजीपी के अंतर्गत राजस्थान में संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत राजस्थान के **बाईस** (22) औद्योगिक विकास संस्थान (आईआईडी) केंद्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 2022 तक 38.6 करोड़ रूपए का अनुदान निम्नानुसार प्रदान किया गया है:-

(i) 2018-19 - 84.50 लाख रूपए

(ii) 2019-20 - 1094.27 लाख रूपए

(iii) 2020-21 - 2577.35 लाख रूपए

(iv) 2021-22 (जनवरी, 2022 तक) - 49.88 लाख रूपए

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय संस्थान ने राजस्थान राज्य में कई ग्रीनफील्ड इकाइयों की (**फरवरी, 2019 के पश्चात**) निम्नानुसार सहायता की है:

1. सहायता प्राप्त ग्रीनफील्ड एमएसएमई इकाइयों की संख्या- 122

   स्वीकृत संचित राशि- 726.87 करोड़ रूपए

2. मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एमएसएमई इकाइयों की संख्या- 14

   स्वीकृत की जाने वाली संचित राशि- 78.58 करोड़ रूपए

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों (2018-19, 2019-20 और 2020-21) और वर्तमान वर्ष (2021-22) को दौरान भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (एसईसीआई) के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम स्कीम चरण-II के अंतर्गत राजस्थान में सोलर फोटो वोल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधीयन (वॉयएवलिटी गैप फंडिंग) (वीजीएफ) के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. को 485 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसरों के सृजन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना वाले वस्त्र पार्कों की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी) का कार्यान्वयन करती है। एसआईटीपी के अंतर्गत, अब तक पाली, राजस्थान में स्थित वस्त्र पार्क को 4 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय तटीय क्षेत्रों में मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टरों के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों में नए सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्रों (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन को सहायता प्रदान करने और अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र उद्योग को सहायता प्रदान करने हेतु **एकीकृत प्रसंस्करण विकास स्कीम (आईपीडीएस)** का कार्यान्वयन करता है। **पिछले 3 वर्षों में आईपीडीएस के अंतर्गत राजस्थान की परियोजनाओं को जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1.	बालोतरा वॉटर पोलूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ओसमोसिस प्राइवेट लि. द्वारा राजस्थान में **बालोतरा** में 18 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन	0	2.00	18.148	0	**20.148**
2.	जसोल वॉटर पोलूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ओसमोसिस प्राइवेट लि. द्वारा **जसोल** में 2.5 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन	0	0	3.93	4.00	**7.93**
3.	सांगानेर एन्वायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा **सांगानेर** में जेडएलडी के साथ 12.3 एमएलडी सीईटीपी	0	0	7	0	**7**
4.	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा **पाली**, राजस्थान	0	0	4	11.42	**15.42**

	में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी में उन्नयन					

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्यात केंद्र के रूप में जिलों के तहत राजस्थान से उत्पादों की सूची

जिला	**उत्पाद**
अजमेर	बैग, मसाले, परिधान, संममरमर और कृषि उत्पाद
अलवर	इंजीनियरिंग उत्पाद
बांसवाड़ा	सिंथेटिक धागे, कपड़ा, संममरमर टाइल्स
बारां	सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद
बाड़मेर	इसबगोल, गौर गम
भरतपुर	कृषि उत्पाद और सेवा निर्यात
भीलवाड़ा	वस्त्र और डेनिम
बीकानेर	ऊन, खाद्य उत्पाद, सिरेमिक, बीकानेरी भुजिया
बूंदी	चावल
चित्तौड़गढ़	संममरमर, ग्रेनाइट और पर्यटन
चुरु	गौर गम, लकड़ी से बने उत्पाद
दौसा	पत्थर का सामान और दरी
धौलपुर	स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइल्स और स्लैब
डूंगरपुर	हरे संगमरमर के स्लैब और टाइल्स
हनुमानगढ़	पर्यटन
जयपुर	रत्न और आभूषण, परिधान, फर्नीचर, सेवा निर्यात और अन्य, खिलौने, जयपुर के नीले बर्तन
जैसलमेर	एपलिक वर्क, संगमरमर और सेवा, इसबगोल, गौर गम, हस्थशिल्प और सेवा निर्यात
जालौर	मसाले, ग्रेनाइट और डेयरी उत्पाद
झालावाड़	सैंड स्टोन, मिश्रित मदें
झुंझुनू	लकड़ी और पत्थर आधारित मदें

जोधपुर	इसबगोल, गौर गम, फर्नीचर उत्पाद, पाउडर, हस्तशिल्प, स्टेनलेस स्टील शीट्स/बर्तन
करौली	सैंड स्टोन का सामान, सिलिका और पाउडर
कोटा	रसायन और उर्वरक, खनिज, कोटा डोरिया
नागौर	इसबगोल, मसाले का प्रसंस्करण, औज़ार और ऊन के कालीन, मकराना संगमरमर
पाली	सीमेंट, मेहंदी, गौर गम
प्रतापगढ़	पर्यटन
राजसमंद	टेरा कोटा, संममरमर से बनी सजावटी वस्तुएं
सीकर	एंटीक फर्नीचर
सिरोही	पत्थर पर नक्काशी, टाइल्स, सीलियम हस्क
श्रीगंगानगर	गम पाउडर
सवाई माधोपुर	पर्यटन
टोंक	स्टोन टाइल्स और सैंड स्टोन टाइल्स
उदयपुर	संगमरमर, खनिज और सेवा निर्यात

*****

अनुबंध-**II**

दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	स्टार्ट-अप मान्यता वित्तीय वर्ष	मान्यताप्राप्त सक्रिय स्टार्टअप्स की संख्या
राजस्थान	2018-2019	227
	2019-2020	390
	2020-2021	547
	2021-2022	525
कुल		1689

*****

अनुबंध-III

दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राजस्थान के संबंध में वर्ष 2018-22 (दिनांक 15.01.2022 तक) के दौरान पीएमईजीपी की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	प्रयुक्त मॉर्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	2018-19	7199.28	2359
2	2019-20	8174.68	3025
3	2020-21	8806.83	2772
4	2021-22 (दिनांक 15.01.2022 तक)	5693.49	1576

*****